न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 31/2018 (राजसमन्द आर्डर)

उदयराम पिता मोडा जी रेबारी, निवासी रेबारियों की ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)
2. मांगीलाल पिता रूपलाल जी पालीवाल, निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
16–07–2018 प्रकरण सं. 8/2016

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री अतुल पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक

24–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी मांगीलाल को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06–12–1976 को जो भूमि आवंटित की गयी है, वह आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है। विपक्षी मांगीलाल भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा वक्त आवंटन ग्राम पंचायत का वार्ड सरपंच

था। उसके द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया है। अतः विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित भूमि उसे नियमानुसार भूमि आंवटित की गयी है तथा आवंटन पश्चात् उसने काफी लागत लगाकर भूमि को उपजाउ बनाया है। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 29–05–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिये।

उक्त निर्णय के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 द्वारा रिव्यू का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मांगीलाल को नियमानुसार आवंटन किया गया है, जिसके खातेदारी अधिकार भी उसे प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षी उदयराम ने आवंटन निरस्ती के जो आधार लिये हैं उसके आधार पर आप न्यायालय ने प्रार्थी मांगीलाल को वक्त आवंटन सरपंच होना मानकर आवंटन निरस्त कर दिया है, जबकि वक्त आवंटन प्रार्थी मांगीलाल सरपंच नहीं होकर मोहन गिरी गोस्वामी सरपंच था किन्तु इस ओर आप न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः आप न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–05–2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण में पुनः विचार किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–07–2018 से रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 29–05–2018 अपास्त कर प्रार्थी मांगीलाल को किये गये आवंटन को यथावत रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16–07–2018 से रूश्ट होकर अपीलान्ट उदयराम द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री अतुल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की

ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रिव्यू याचिका में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। रिव्यू याचिका संक्षिप्त क्षेत्राधिकार है और इस संबंध में विधि का यह सिद्धान्त है कि पूर्व में पारित आदेश को केवल उन्हीं परिस्थितियों में रिव्यू किया जा सकता है जब आदेश को पढ़ने से उसमें त्रुटि प्रमाणित पायी जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में इस प्रकार कोई त्रुटि नहीं होने के बाजवूद रिव्यू याचिका स्वीकार कर अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर आवंटन बहाल रखने का जो आदेश दिया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

वहीं रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के रिव्यू में पारित निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय में आवंटी मांगीलाल को वक्त आवंटन सरपंच होना मानकर उसके पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदश पारित किया, किन्तु पुनरावलोकन आवेदन में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वक्त आवंटन गांव का सरपंच आवंटी नहीं होकर मोहन गिरी गोस्वामी होने के आधार पर अपने पूर्व निर्णय को रिव्यू करते हुए अपीलान्ट/आवंटी का रिव्यू आवेदन स्वीकार कर उसके पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा है, जो उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–07–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारो
उदयपुर